

उच्च न्यायालय पटना का क्षेत्राधिकार

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1435

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

ललन पासवान पिता- स्वर्गीय राम चरितार पासवान, निवासी- गाँव-तुर्की, थाना-  
चेनारी, जिला-रोहतास।

... .... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

=====

के साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 1292

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

ललन पासवान पिता- स्वर्गीय बाली राम पासवान निवासी-ग्राम बेलासपुर, थाना-  
चेनारी, जिला रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 1293

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

लोक नाथ पासवान पिता- स्वर्गीय तुलसी पासवान निवासी- गाँव-बेलासपुर, थाना-  
चेनारी, जिला रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 1323

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

रमाकांत पासवान पिता- शिवबिलास पासवान निवासी- गाँव-हरनागोरा, थाना- चेनारी, जिला रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 1379

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

रवींद्र चौबे पिता-स्वर्गीय मनमोहन चौबे, निवासी- गाँव-बेलासपुर, थाना-चेनारी, जिला- रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 1419

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

सुरेश राम पिता- स्वर्गीय चिराई राम, निवासी-गाँव-बेलासपुर, थाना-चेनारी, जिला- रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 1452

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

अर्जुन राम पिता- स्वर्गीय सीता राम राम, निवासी- गाँव-बेलासपुर, थाना-चेनारी,  
जिला-रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

के साथ

2018 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 59

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-23 वर्ष-1997 थाना-शिवसागर जिला-रोहतास

=====

शिव नंद बिंद पिता- बबन बिंद, निवासी गाँव-बिलासपुर, थाना -चेनारी, जिला-  
रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

=====

उपस्थिति

(2017 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1435 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता  
श्री मनीष चंद्र गांधी, अधिवक्ता  
श्री समरजीत सिंह, अधिवक्ता  
श्री रित्वाज रमन, अधिवक्ता  
सुश्री वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

श्री ऋत्तिक ठाकुर, अधिवक्ता  
 श्री आकाश रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, अति०लो०अभि०  
 (2017 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1292 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राकेश नारायण सिंह, अधिवक्ता  
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, अति०लो०अभि०  
 (2017 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1293 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राकेश नारायण सिंह, अधिवक्ता  
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सत्य नारायण प्रसाद, अति०लो०अभि०  
 (2017 की आपराधिक याचिका (खंड पीठ) संख्या 1323 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बिनोद मुरारी मिश्रा, अधिवक्ता  
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, अति०लो०अभि०  
 (2017 की आपराधिक याचिका (खंड पीठ) संख्या 1379 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री कमलाकांत पांडे, अधिवक्ता  
 सुश्री दीप्ति पांडे, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, अति०लो०अभि०  
 (2017 की आपराधिक याचिका (खंड पीठ) संख्या 1419 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बबन कुमार, अधिवक्ता  
 श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : दिलीप कुमार सिन्हा, अति०लो०अभि०  
 (2017 की आपराधिक याचिका (खंड पीठ) संख्या 1452 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बबन कुमार, अधिवक्ता  
 श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, अति०लो०अभि०  
 (2018 की आपराधिक याचिका (खंड पीठ) संख्या 59 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : सुश्री सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता  
 सुश्री अदिति शर्मा, अधिवक्ता  
 सुश्री दीप्ति पांडे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं की ओर से : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अति०लो०अभि०

=====

भारतीय दंड संहिता – धारा 364 ए/34, धारा 120/34

दंड प्रक्रिया संहिता – धारा 164

अपील – रोहतास के विद्वान फास्ट ट्रैक कोर्ट सासाराम द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 482/2000 में पारित दिनांक 20/9/2017 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 22/9/2017 के सजा के आदेश को रद्द करने के लिए, जो शिवसागर (बढ़ी) थाना कांड संख्या 0023/1997 से उत्पन्न हुआ था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था – अपहरण – मुखबिर की लिखित सूचना के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया – जांच के पश्चात आई.ओ. 25/6/1997 को नंबर 8 वाला पहला आरोप पत्र पेश किया और कुछ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच लंबित थी – जांच के बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एस.364 ए और एस.120/34 आईपीसी के तहत एक पूरक आरोप पत्र – 11/8/1997 को संज्ञान लिया गया, जिसके बाद रिकॉर्ड सत्र अदालत को सौंप दिए गए जहां एस.364 ए/34 आईपीसी के तहत आरोप तैयार किए गए – अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की सुनवाई की गई- पीड़ित द्वारा लिखे गए पत्रों की जांच की गई - आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए- बचाव पक्ष ने न तो किसी गवाह की जांच की और न ही कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया - विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों का विश्लेषण किया और माना कि पीड़ित ने अपने अपहरण में कुछ आरोपियों की मिलीभगत के बारे में नहीं बताया था - घटना में उनकी भागीदारी के बारे में कोई कानाफूसी नहीं हुई थी- इसलिए उन आरोपियों को दोषी नहीं पाया गया और आरोपों से बरी कर दिया पीड़िता ने बताया कि उसका बेटा सुबह तीन बजे नाटक देखने गया था, वह अपने पिता के साथ दालान में सोने जा रहा था - उसके अनुसार जब उसका बेटा दालान का दरवाजा खटखटा रहा था तो कुछ लोग उससे रास्ते के बारे में पूछने आए और उसका बेटा उन्हें रास्ता दिखाने चला गया - मां के अनुसार उसके बेटे को वहां से ले जाया गया - पीड़िता के पिता ने आधे घंटे तक इंतजार किया और यह सोचकर कि वह महिलाओं वाले हिस्से में चला गया होगा उसने दरवाजा बंद कर दिया - सुबह पीड़िता की मां ने बताया कि उसके बेटे ने चाय नहीं पी थी उसके अनुसार बेटे को वहां से ले जाया गया - जिसके बाद बेटे की तलाश शुरू हुई और उसके न मिलने पर शाम को करीब तीन-साढ़े तीन बजे बढ़ी पुलिस थाने में सूचना दी गई। - बेटे के अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग करते हुए छह पत्र भेजे - दो पत्र उनके बेटे के हाथ से लिखे हुए थे - फिरौती की मांग करते हुए 4/4/1997 को एक पत्र भेजा गया था, 2 -/- रुपये का आधा कटा हुआ नोट भी भेजा गया था और फिरौती को उस व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए जो नोट का दूसरा भाग लाएगा - 10- 11 दिनों के बाद 7/4/1997 को उनके बेटे को पुलिस ने गाँव तुर्की पी.एस. से बरामद किया। सिमरी में छापेमारी - बेटे ने लौटने पर अपहरणकर्ताओं का नाम नहीं बताया - उसके बेटे की उसकी मौजूदगी में बरामदगी नहीं हुई - पीड़ित ने बताया कि जब वह अकेले अपने दालान पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया और सो गया - इसी बीच चार लोग आए और उससे रायपुर

गांव जाने वाले रास्ते के बारे में पूछा और वह उन्हें अपने दालान से करीब 100 गज की दूरी पर रास्ता दिखाने गया - जब उसने उन्हें रास्ता दिखाया और अपने दालान की ओर मुड़ा तो उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया और उस पर पिस्तौल तान दी - उन्होंने धमकी दी कि अगर वह उनके साथ चला तो उसे जान से मार देंगे - उसने दावा किया कि वह उनके साथ पहाड़ पर गया था - वे उसे पीट रहे थे और उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया - वे उसे एक पहाड़ पर ले गए और पूरे दिन रखा - वे उसके पिता से पैसे लेने की बात कर रहे थे - शाम को वे उसे गांव ले गए जहां उसे खाना दिया गया - उसे पूरी रात गांव में रखा गया और अगली रात उसे दूसरे गांव ले जाया गया जहां उसे दस दिनों तक रखा गया - उसने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने ललन पासवान सहित कुछ लोगों का नाम लिया - पुलिस ने गांव में छापेमारी की और उसे एक घर से बरामद किया - एक व्यक्ति जो उस पर नजर रख रहा था उसे भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उस जगह से एक बंदूक और तीन कारतूस जब्त किए - पुलिस उसे चेनारी पुलिस स्टेशन ले आई और उसका बयान दर्ज किया - उसने यह भी कहा कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था जहां उसने अपना बयान दर्ज किया- उसे गांव का नाम जनता से पता चला - अपहरण का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है - उन्हें आपत्तिजनक परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बताई गईं - चर्चा किए गए सबूतों से अदालत की राय है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे आरोपी/आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है - एस.364 ए के आवश्यक तत्वों का अभाव है और अपहरण और आरोपी-अपीलकर्ता की भूमिका के बीच संबंध पूरी तरह से स्थापित किया जा सकता है ताकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके-ट्रायल कोर्ट के विवादित फैसले को खारिज किया जाता है - अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी किया जाता है - Cr. अपील (DB) संख्या 1435/2017 और Cr. अपील (DB) संख्या 59/2018 को छोड़कर उपरोक्त अपीलों में अपीलकर्ता जमानत पर हैं - उन्हें जमानत बांड के दायित्व से मुक्त किया जाता है - अपीलकर्ता ललन पासवान और शिव नंदन बिंद हिरासत में बताए गए हैं - यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा - सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं

संदर्भित:

शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य (2021) 9 एससीसी 59

राजेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1202

सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 10 एससीसी 270

शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116

=====

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

=====

**समक्ष:-माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

**सी ए वी निर्णय**

**(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)**

**तारीख:19-04-2024**

ये सभी अपीलें विद्वान फास्ट ट्रैक कोर्ट-I, रोहतास, सासाराम द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 482/2000 में पारित दिनांक 20.09.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 22.09.2017 के सजा के आदेश को खारिज करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं, जो शिवसागर (बढ़ी) थाना केस संख्या 0023/1997 से उत्पन्न हुई थी, जो भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 364 ए के तहत पंजीकृत थी।

2. लिखित जानकारी के आधार पर (सूचना देने वाले (पीडब्लू-6) का '1' प्रदर्शित करें), एक मामला जिसमें 1997 का सं.0023 आई.पी.सी. की धारा 364 ए के तहत अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिवसागर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। जाँच शुरू की गई और जाँच के बाद, आई.ओ. ने नं.08 तारीख 25.06.1997 वाला पहला आरोप पत्र प्रस्तुत किया और कुछ अभियुक्तों के खिलाफ जाँच लंबित रखी गई थी। जाँच के बाद, पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 364 ए और 120बी/34 के तहत एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपराधों का संज्ञान 11.08.1997 को लिया गया, जिसके बाद अभिलेखों को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जहां धारा 364 ए/34 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए और आरोपी व्यक्तियों-अपीलकर्ताओं को समझाया गया, जिन्होंने दोषी न होने की दलील दी और मुकदमा चलाने का दावा किया।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों से पूछताछ की गई। लिखित रिपोर्ट (प्रदर्शनी '1'), पीडित द्वारा लिखे गए दो पत्र (प्रदर्शनी '2' और '2/1') और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (प्रदर्शनी '3') के तहत बयान पर गवाहों के हस्ताक्षर को बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था। पहचान के लिए चार अक्षरों को 'एक्स' से 'एक्स/3' तक चिह्नित किया गया था।

4. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। बचाव पक्ष ने न तो किसी गवाह से पूछताछ की और न ही कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया।

5. विद्वत निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए कहा कि पीड़ित (पीडब्लू-7) ने कलावती देवी (आरोपी नं.3), श्री भगवान तिवारी (आरोपी नं.10) और देव राज तिवारी (आरोपी नं.11) उसके अपहरण में और इस घटना में उनकी भागीदारी के बारे में कोई कानाफूसी नहीं है। इसलिए, एन. ओ. एस. पर आरोप लगाया। 3, 10 और 11 को दोषी नहीं पाया गया और उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। अन्य अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् शिव नंद बिंद (ए1), रवींद्र चौबे (ए2), अर्जुन राम (ए4), ललन पासवान पुत्र बाली राम पासवान (ए5), ललन पासवान पुत्र स्वर्गीय राम चरितार पासवान (ए6), रमाकांत पासवान (ए7), लोकनाथ पासवान (ए8) और सुरेश राम (ए9) को आईपीसी की धारा 364 ए/34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। इसलिए, उन्हें उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। सजा के रूप में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

#### अभियोजन साक्ष्यों का विश्लेषण

6. मनोज साह (पीडब्लू-1) और उपेंद्र साह (पीडब्लू-2) को शत्रु घोषित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। रामेश्वर तिवारी (पीडब्लू-3) के बेटे रंजन तिवारी को अगले दिन ओम प्रकाश पांडे (पीडब्लू-7) के अपहरण के बारे में पता चला, लेकिन उसे किसी पर संदेह नहीं हुआ और न ही उसने उनमें से किसी की पहचान की।

7. हरेंद्र प्रसाद की पत्नी प्रभा देवी (पीडब्लू-4) ने कहा है कि पुलिस ने उनकी जांच नहीं की थी। पीडब्लू-4 को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

8. शिव कुमारी देवी (पीडब्लू-5) पीड़ित की माँ हैं जिन्होंने कहा है कि उनका बेटा ओम प्रकाश नाटक देखने गया था और 3:00 बजे(सुबह), वह अपने पिता के साथ दालान में सोने जा रहा था। पीडब्लू-5 ने कहा है कि जब उनका बेटा *दालान* का दरवाजा खटखटा रहा था, कुछ लोग उनके पास उस सड़क के बारे में पूछने आए जिस पर उनका बेटा उन्हें सड़क दिखाने गया था। उसने दावा किया कि उसके बेटे को वहाँ से ले जाया गया था। सुबह उसने अपने बेटे की तलाश शुरू की तो उसके पति ने उसे बताया कि शायद उसका बेटा ले जाया गया है। यह गवाह चश्मदीद गवाह नहीं है और उसने अपने पति द्वारा बताई गई बातों के आधार पर कहा है।

9. राम बच्चन पांडे (पीडब्लू-6) पीडित (पीडब्लू-7) का पिता है। उन्होंने कहा है कि यह घटना 27.03.1997 की रात की है। वह अपने दालान में सो रहा था और गाँव वाले गाँव में नाटक कर रहे थे। उनके बेटे ओम प्रकाश @मंटू नाटक देखने गए थे और लगभग 02:30 से 03:00 बजे (रात के समय), वह दालान में आया और पीडब्लू-6 को दरवाजा खोलने के लिए कहा। पीडब्लू-6 ने दरवाजा खोला, इस बीच उसने सुना कि कुछ लोग उन्हें रायपुर गांव जाने वाली सड़क दिखाने के लिए कह रहे हैं और उसका बेटा (पीडब्लू-7) उन्हें सड़क दिखाने गया। पीडब्लू-6 ने आधे घंटे तक दालान में अपने बेटे का इंतजार किया और जब वह नहीं लौटा तो उसने यह सोचकर दरवाजा बंद कर दिया कि हो सकता है कि उसका बेटा महिला भाग में सोने गया हो। पीडब्लू-6 भी सोया हुआ था। सुबह 8:00 बजे, उसे जानकारी मिली कि मंटू (पीडब्लू-7) ने चाय नहीं ली है इसलिए उसे भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद मंटू की खोज शुरू हुई और उसे नहीं मिलने पर शाम को बंदी पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई। 3-3:30 पी.एम. पीडब्लू-6 ने उस लिखित जानकारी को साबित किया है जो उनके लेखन और हस्ताक्षर में प्रदर्शनी '1' के रूप में थी।

10. पी.डब्लू-6 ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि मंटू के अपहरणकर्ताओं ने उसे छह पत्र भेजे थे, जिनमें 4,00,000/- रुपए की फिरौती मांगी गई थी, अंत में उन्होंने 2,00,000/- रुपए मांगे थे। उन्होंने दावा किया कि उन छह पत्रों में से दो पत्र उनके बेटे मंटू ने अपने हाथ से लिखे और हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने उन दो अक्षरों को पीडब्लू-7 के लेखन में क्रमशः प्रदर्शनी '2' और '2/1' के रूप में साबित किया। कहा जाता है कि अन्य चार पत्र अपहरणकर्ताओं के हाथ में लिखे हुए थे जिन्हें 'एक्स/ए' और 'एक्स/बी' के रूप में पहचान के लिए रखा गया था। पीडब्लू-6 ने दावा किया कि फिरौती की मांग करने वाले 04.04.1997 के पत्र के साथ, 2/- रुपये का आधा कटा हुआ नोट भी निर्देश के साथ भेजा गया था कि फिरौती की राशि उस व्यक्ति को सौंप दी जाए जो 2/- रुपये के नोट का दूसरा हिस्सा लाएगा। पीडब्लू-6 ने कहा है कि 07.04.1997 पर 10-11 दिनों के बाद, उसके बेटे को पुलिस ने गांव तुर्की, थाना सिमरी से छापे में बरामद किया था। बिलासपुर गाँव के शिव नंद बिंद नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। पीडब्लू-6 को पता चला कि इस घटना के पीछे सह-ग्रामीण देव राज तिवारी, श्री भगवान तिवारी और रवींद्र चौबे 3-4 अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल थे। उन्हें 11 लोगों के बारे में बताया गया था। अपने बयान के पैराग्राफ '5' में, पीडब्लू-6 ने कहा है कि मंटू ने अपनी वापसी पर अपहरणकर्ताओं का नाम नहीं बताया, इस गवाह ने तब अपने दम

पर कहा कि उसे याद नहीं है कि मंदू ने उसे अपहरणकर्ताओं का नाम बताया था या नहीं। अदालत में पीडब्लू-6 ने आरोपी देव राज तिवारी की पहचान की, लेकिन दूसरे आरोपी रवींद्र चौबे की पहचान नहीं की।

11. अपनी जिरह में, पीडब्लू-6 ने कहा है कि उसका बेटा उसकी उपस्थिति में बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने अपने साक्ष्य के पैराग्राफ '8' में आगे कहा है कि पुलिस ने उन्हें किसी भी आरोपी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया था। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ '11' में उन्होंने कहा है कि उन्होंने उन अभियुक्त व्यक्तियों के नाम जानने की कोशिश नहीं की थी जो उनके अपने स्तर पर अपहरण में शामिल थे।

12. पीडित ओम प्रकाश पांडे (पीडब्लू-7) इस मामले का मुख्य गवाह है। पीडब्लू-7 ने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि जब वह अकेले अपने दालान पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, तो उसके पिता ने दरवाजा खोला और सो गए। उनके अनुसार, इस बीच चार लोग उनके दरवाजे पर आए और उनसे गांव रायपुर चौर जाने वाली सड़क के बारे में पूछा, इस पर वह उन्हें अपने दालान से लगभग 100 गज दक्षिण की दूरी पर सड़क दिखाने गए, उन्होंने उन्हें सड़क दिखाई, लेकिन जैसे ही वह अपने दालान की ओर मुड़ना चाहते थे, उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया और उन पर पिस्तौल तान दी। उन्होंने पीडब्लू-7 को धमकी दी कि अगर वह उनके साथ नहीं गया तो उसे मार दिया जाएगा। पीडब्लू-7 ने दावा किया कि वह उनके साथ पहाड़ पर गया था। उसे पीट रहे थे और उसकी आँखों पर एक कपड़ा रख दिया था। वे उसे एक पहाड़ पर ले गए जहाँ उसे पूरा दिन रखा गया। वे बात कर रहे थे कि उसके पिता से 4 लाख रुपये की राशि ली जानी है। शाम को वे उसे एक गाँव ले गए जहाँ उसे खाने के लिए खाना दिया गया। उन्हें पूरी रात गाँव में रखा गया, अगली रात उन्हें दूसरे गाँव ले जाया गया जहाँ उन्हें 10 दिनों तक रखा गया। अपहरणकर्ता स्वयं कह रहे थे कि उन्हें पैसा पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देव राज तिवारी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा और श्री भगवान तिवारी और रवींद्र चौबे सब कुछ ठीक करेंगे। पीडब्लू-7 का कहना है कि अपहरणकर्ता अर्जुन चमार, सुरेश चमार, लोकनाथ, रमाकांत और ललन पासवान का नाम लेते हुए अपने बारे में बात कर रहे थे, उन्हें अन्य नाम याद नहीं थे। उनके साक्ष्य के पैराग्राफ '2' में, पीडब्लू-7 ने कहा है कि पुलिस ने उक्त गांव में छापा मारा था और उन्हें एक घर से बरामद किया गया था। उस पर नजर रखने वाले शिव नंद बिंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उक्त स्थान से एक बंदूक और तीन गोलियां जब्त की थीं।

13. पैराग्राफ '3' में पीडब्लू-7 ने कहा है कि पुलिस उसे चेनारी पुलिस स्टेशन ले आई, बाद में उसे पता चला कि उसे गांव तुर्की से बरामद किया गया है। उनका बयान चेनारी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। अगले दिन, उन्हें उपाधीक्षक के सामने लाया गया, जहाँ से उन्हें शिवसागर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ भी दारोगाजी ने उनसे पूछताछ की थी। अपने जाँच-प्रभारी के पैराग्राफ '4' में, इस गवाह ने कहा है कि आई. ओ. उसे बयान दर्ज करने के लिए अदालत में लाया था और उसने उसे पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया था। उन्होंने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जो प्रदर्शनी '3' के रूप में चिह्नित था।

14. अपनी जिरह के दौरान, इस गवाह ने कहा है कि उसे छापे के बाद जनता से गाँव के नाम के बारे में पता चला, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि उसे गाँव के नाम के बारे में किससे पता चला। अपनी जिरह के पैराग्राफ '10' में उन्होंने कहा है कि ठीक होने के समय लगभग 20 पुलिसकर्मी और जनता के 100 लोग थे। उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें और गिरफ्तार व्यक्ति को जब्त किए गए हथियारों के साथ पुलिस थाने ले आई थी। जनता थाने नहीं गई थी और उसे याद नहीं था कि उसकी उपस्थिति में पुलिस ने जनता के किसी सदस्य या आरोपी के हस्ताक्षर लिए थे।

15. उन्होंने आगे कहा है कि बिलासपुर गाँव उनके गाँव से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरोपी रवींद्र चौबे की शादी उसकी बहन के ननद से हुई है और वह गांव बिलासपुर का रहने वाला है। वे कभी गांव बिलासपुर नहीं गए थे। उसने गाँव तुर्की में अपने अपहरण के 2-4 दिनों के बाद रवींद्र चौबे को देखा था। उनका कहना है कि उन्हें रात में तुर्की गांव लाया गया था। आँखें बंधी हुई थीं, कभी उनकी आँखें खोली गई थीं, उन्हें कमरे में एक बर्तन में बैठा कर पेशाब कराया गया था। शिव नंद बिंद हमेशा उनके साथ रहते थे और ललन पासवान कभी-कभी उन्हें खाना परोसने आते थे, वे आधे घंटे तक बैठे रहते थे और वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने ललन पासवान का चेहरा देखा था। पीडब्लू-7 ने कहा है कि गांव तुर्की के ललन पासवान के चेहरे को छोड़कर, उन्होंने रवींद्र चौबे का चेहरा देखा था। उन्हें अपने पिता का नाम और गांव बिलासपुर के ललन पासवान का नाम नहीं पता था। लोकनाथ पासवान, शिव नंद बिंद, अर्जुन राम, सुरेश राम और रमाकांत पासवान।

16. अपनी जिरह के पैराग्राफ '14' में उन्होंने कहा है कि शिव नंद बिंद कभी उनके साथ उनके कमरे में सोते थे लेकिन उन्होंने कभी कमरे से भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी कोई हल्ला नहीं उठाया, कभी-कभी उन्हें उक्त घर से

100 गज की दूरी पर रात में शौच करने के लिए खेत में ले जाया जा रहा था और उस समय उनकी आंखें खुली हुई थीं। उन्हें रात में 12-01:00 पर ले जाया जा रहा था फाइल में और जब वह शौच करने बैठता था, तो दोनों तरफ से 10-10 सीढ़ियों की दूरी पर, आरोपी व्यक्ति बंदूक के साथ वहां खड़े रहते थे। उसने वहाँ से भागने की कभी कोशिश नहीं की। उन्हें कमरे में एक कंबल दिया जा रहा था।

17. पीडब्लू-7 ने आगे कहा है कि जब पुलिस ने शाम को 04-05:00 पर छापा मारा शिव नंद बिंद उनके साथ थे। उसने भागने की कोशिश नहीं की। शिव नंद बिंद ने नहीं पूछा छत (कोठा) कि कौन दरवाजा खटखटा रहा था। पीडब्लू-7 अपनी जिरह में कहता है कि वह यह नहीं कह सकता कि ग्रामीण पुलिस को देखने आए थे या नहीं। वह पहले नीचे आया और उसके 20 मिनट बाद शिव नंद बिंद हाथ ऊपर करके आया। 10-20 मिनटों के भीतर, लगभग 100 ग्रामीण दरवाजे पर आ गए। अपनी जिरह में, वह कहता है कि उसे सीधे चेनारी पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहाँ उसने 08:00 बजे अपराह्न (रात) में अपना बयान दिया था और अपने हस्ताक्षर करें। वह पूरी रात चेनारी पुलिस स्टेशन में रहा। इससे पहले शिवसागर पुलिस भी वहां पहुंची थी। अपनी जिरह के पैराग्राफ '16' में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उन्हें कभी भी परेड में आरोपी की पहचान करने के लिए आने के लिए नहीं कहा।

18. उनकी जिरह के पैराग्राफ '20' में पीडब्लू-7 ने कहा है कि जिन चार लोगों ने उनका अपहरण किया था, वे अज्ञात थे। अपने साक्ष्य के पैराग्राफ '22' में उन्होंने कहा है कि न तो पुलिस के सामने अपने बयान में और न ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने श्री भगवान तिवारी और देव राज तिवारी का नाम लिया था।

### अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

19. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने विभिन्न आधारों पर अपील के तहत निर्णय (जिसे इसके बाद 'विवादित निर्णय' के रूप में संदर्भित किया गया है) पर हमला किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले का एकमात्र गवाह, जो एक स्टार गवाह भी है, अपनी बरामदगी का स्थान साबित नहीं कर सका है। उन्होंने उन चार व्यक्तियों की पहचान नहीं की है जिन्होंने उनका अपहरण किया था और इस मामले में, क्योंकि जांच अधिकारी (आई. ओ.) से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष का मामला कि पी. डब्ल्यू.-7 गांव तुर्की से बरामद किया गया था, विधिवत साबित नहीं हो सका है और इस मामले में आई. ओ. से पूछताछ न करने से बचाव पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं

कि न तो पीडब्लू-6 और न ही पीडब्लू-7 ने कहा है कि पीडब्लू-7 के जीवन को कोई खतरा था और किसी भी समय, पीडब्लू-7 को मारने की धमकी दी गई थी यदि फिरौती राशि का भुगतान नहीं किया गया, इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, आईपीसी की धारा 364ए के तहत एक मामला सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं होता है।

20. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में, पीडब्लू-6 ने दो पत्र पेश किए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पीडब्लू-7 द्वारा लिखे गए थे, लेकिन पीडब्लू-7 ने कभी भी अपहरणकर्ताओं के कहने पर कोई पत्र लिखने के बारे में नहीं कहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उनके बयान को विधिवत साबित और चिह्नित नहीं किया गया है और यह केवल पीडब्लू-7 के हस्ताक्षर हैं जिन्हें प्रदर्शनी '3' के रूप में चिह्नित किया गया है। अपहरणकर्ताओं द्वारा लिखे गए चार अन्य पत्रों को मुकदमे के दौरान प्रदर्शित नहीं किया जा सका।

21. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलार्थियों का ध्यान नहीं खींचा गया था। धारा 313 आपराधिक दंड संहिता के तहत अपने बयानों के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा लाई गई आपत्तिजनक सामग्री के प्रति। इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 313 आपराधिक दंड संहिता के तहत उन्हें प्रदान किए गए एक मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया था।

### विचार करें।

22. हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील को सुना है और राज्य के लिए अतिरिक्त पी. पी. सीखा है। निचली अदालत के रिकॉर्ड हमारे सामने रखे गए हैं और हमने उसी पर गौर किया है।

23. हमारे सामने रखे गए अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से हमें पता चला कि पीडित ओम प्रकाश पांडे ने पीडब्लू-7 के रूप में गवाही दी है। वह इस मामले का मुख्य गवाह है। उनके पिता, राम बच्चन पांडे सूचना देने वाले हैं और उन्होंने पीडब्लू-6 के रूप में पदच्युत किया है। हम पहले पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्यों पर विचार करेंगे और फिर यह न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त-अपीलार्थियों के अपराध को साबित करेंगे ताकि आईपीसी की धारा 364ए/34 के तहत उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सके। पीडब्लू-6 के अनुसार, जब उनके बेटे (पीडब्लू-7) ने 2:30-3:00 बजे सुबह में दालान का दरवाजा खटखटाया और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा, उसने दरवाजा खोला और सुना कि कोई उसके बेटे को रायपुर गांव की ओर जाने

वाला रास्ता दिखाने के लिए कह रहा है और उसका बेटा उस व्यक्ति के साथ चला गया। पीडब्लू-6 ने यह नहीं कहा है कि उसने वह व्यक्ति को देखा था जिसके साथ उसका बेटा गया थाको देखा है। उन्होंने उन लोगों की संख्या के बारे में भी नहीं बताया है जिनके साथ पीडब्लू-7 उन्हें रास्ता दिखाने गए थे। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जब उसका बेटा वापस नहीं आया तो पीडब्लू-6 उसकी तलाश में या उसके बारे में पूछताछ करने नहीं गया। यह एक पिता का स्वाभाविक आचरण नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब उसका बेटा आधी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ गया हो। पीडब्लू-6 ने कहा है कि उसने आधे घंटे के बाद दरवाजा बंद कर दिया और सोचा कि उसका बेटा घर के पारिवारिक हिस्से में सोने गया है, लेकिन इस गवाह ने यह नहीं कहा है कि परिवार के हिस्से के लिए कोई अलग दरवाजा था और इस मामले में आई. ओ. की जांच नहीं की गई है, इसलिए मुकदमे के दौरान घर और पीडब्लू-6 के दालान का विवरण नहीं आया है। सुबह 8:00 बजे, उसे घर के परिवार से जानकारी मिली कि पीडित लड़का अपनी चाय लेने नहीं गया था, जिसके बाद पीडब्लू-6 अपने बेटे की तलाश में गया।

24. इस बात का प्रमाण मिला है कि जिस तारीख को गांव में नाटक खेला जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण नाटक देखने के लिए जमा हुए थे, पीडब्लू-6 का पीडित बेटा भी नाटक देखने गया था। साक्ष्य के इस भाग से ऐसा प्रतीत होता है कि पी.डब्लू.-6 का यह कथन कि उसका बेटा रात 2:30-3:00 बजे लौटा और दालान का दरवाजा खटखटाया, संदिग्ध है। यदि वह आधी रात को लौटा होता, दालान का दरवाजा खटखटाया होता और पी.डब्लू.-6 ने दरवाजा खोला होता, लेकिन फिर उसने किसी को अपने बेटे से रास्ता दिखाने के लिए कहते सुना होता, तो लड़के (पी.डब्लू.-7) का पिता होने के नाते पी.डब्लू.-6 ने यह जानने की कोशिश जरूर की होती कि वे कौन लोग हैं जिनके साथ पी.डब्लू.-7 गया था। यह बहुत संदेहपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में जब बेटा आधी रात को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ जाता है, तो पिता आधे घंटे के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं और सोने जाते हैं।

25. इस अदालत ने आगे पाया कि लड़के के अपहरण के संबंध में जानकारी पुलिस स्टेशन को 28.03.1997 को 6:30 बजे शाम यानी कम से कम 10 घंटे की देरी के साथ दी गई थी। पीडब्लू-6 ने बंदी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उनका बयान था कि उनका बेटा 3:00 बजे दालान पहुंचा। मैंने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा, जिसके बाद पीडब्लू-6 दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की आवाज सुनी, जिन्होंने उसके बेटे को रायपुर

गांव की ओर जाने वाली सड़क दिखाने के लिए कहा। अपनी लिखित रिपोर्ट में पीडब्लू-6 ने यह नहीं कहा कि उसने आधे घंटे तक अपने बेटे का इंतजार करने के बाद दरवाजा खोला और फिर उसे बंद कर दिया। इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि मुकदमे के दौरान, पीडब्लू-6 ने लिखित रिपोर्ट में अपने बयान से कुछ विचलन किया है, वह सुसंगत नहीं है।

26. अपने साक्ष्य के आगे के हिस्से में, पीडब्लू-6 ने कहा है कि उसे फिरौती के लिए छह पत्र मिले थे। छह पत्रों में से दो पत्र उनके बेटे के हाथ से लिखे गए थे और बाकी अपहरणकर्ता द्वारा लिखे गए थे। उनके बेटे (पीडब्लू-7) द्वारा लिखे गए दो पत्र क्रमशः '2' और '2/1' के रूप में साबित हुए हैं, पत्रों के प्रेषण या सेवा के तरीके का कोई प्रमाण नहीं है। पीडब्लू-7 ने अपने जाँच-इन-चीफ में यह नहीं कहा है कि अपहरणकर्ताओं ने उसे फिरौती के लिए पत्र लिखने के लिए कहा था। पीडब्लू-7 ने यह नहीं बताया है कि वे कौन लोग थे जिनके साथ वह रायपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क दिखाने गए थे। पीडब्लू-7 ने उन व्यक्तियों के साथ मौजूद इनमें से किसी भी अपीलार्थी की पहचान नहीं की है जिन्होंने पीडब्लू-7 से उन्हें रायपुर रोड दिखाने का अनुरोध किया था। जहां तक अन्य चार पत्रों का संबंध है, पीडब्लू-6 उन पत्रों और पत्रों की प्राप्ति के तरीके को साबित नहीं कर सका। वह 2 रुपये का आधा फटा हुआ नोट मिलने की बात करता है, लेकिन जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा न तो कोई पत्र और न ही आधा फटा हुआ नोट जब्त किया गया और न ही मुकदमे के दौरान यह साबित हुआ। इस प्रकार, छह पत्रों और 2 रुपये का आधा फटा हुआ नोट मिलने के संबंध में पीडब्लू-6 का बयान पूरी तरह से अविश्वसनीय है और इन बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

27. पीडब्लू-6 ने आगे कहा है कि घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसके बेटे को चेनारी पुलिस स्टेशन के तहत तुर्की गांव से ललन पासवान के घर से बरामद किया था। उसे इस बारे में पुलिस से पता चला लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि वह पुलिस अधिकारी कौन था जिसने पीडब्लू-6 को इसका खुलासा किया था। अभियोजन पक्ष ने ललन पासवान के घर के विवरण को न तो साबित किया है। गाँव तुर्की या उक्त स्थान से शिव नंद बिंद की गिरफ्तारी। मुकदमे के दौरान पीडित लड़के का कोई वसूली ज़ापन साबित नहीं हुआ है। अपने साक्ष्य के पैराग्राफ '5' में, पीडब्लू-6 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लौटने पर, मंदू (पीडित लड़का) ने उसे आरोपी व्यक्तियों के बारे में नहीं बताया था, इस गवाह ने बाद में कहा है कि उसे याद नहीं है कि मंदू ने उसे अपहरणकर्ताओं के आरोपी का नाम बताया था या नहीं। इस गवाह ने

उन अभियुक्तों की पहचान नहीं की जो उपस्थित नहीं थे, वह अदालत में मौजूद रवींद्र चौबे की पहचान करने में भी विफल रहा। उन्होंने केवल देव राज तिवारी की पहचान की क्योंकि वे उनके सह-ग्रामीण थे। उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस रिपोर्ट देखी थी और आरोपी के बारे में पता चला था। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की थी कि उनके बेटे के अपहरण में कौन शामिल थे। पीडब्लू-6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसकी गवाही का अंतिम भाग पुलिस से प्राप्त उसकी जानकारी पर आधारित है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि किसी भी अपीलकर्ता ने कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग की।

28. जहाँ तक पीडब्लू-7 का संबंध है, वह स्वयं पीड़ित है। उसने मुकदमे के दौरान खुलासा किया है कि चार लोग *दालान* के दरवाजे पर आए थे और उससे रायपुर गांव जाने वाली सड़क के बारे में पूछा था। पीडब्लू-7 ने उन चार व्यक्तियों की पहचान नहीं की है और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि ये अपीलार्थी या तो पीडब्लू-7 को ले जाने में शामिल थे या उन चार व्यक्तियों के साथ देखे गए जिन्होंने पीडब्लू-7 से उन्हें रायपुर रोड दिखाने के लिए कहा था।

29. पीडब्लू-7 ने कहा है कि उसने अपहरणकर्ताओं को 4 लाख रुपये की मांग के बारे में बात करते सुना है और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें देव राज तिवारी और भगवान तिवारी के माध्यम से पैसे मिलेंगे। पीडब्लू-7 ने अपहरणकर्ताओं को यह कहते हुए भी सुना कि रवींद्र चौबे ने सब कुछ सही किया है। पीडब्लू-7 ने उनसे बात करते हुए सुना, उनका नाम अर्जुन चमार, सुरेश चमार, लोकनाथ, रमाकांत और ललन पासवान रखा। उसे अन्य नाम याद नहीं थे। पीडब्लू-7 ने कहा है कि पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान, उस पर नजर रखने वाले व्यक्ति शिव नंद बिंद को एक घर से गिरफ्तार किया गया था और उक्त घर की तलाशी के दौरान, पुलिस ने एक बंदूक और तीन कारतूस जब्त किए, लेकिन इस अदालत ने पाया कि मुकदमे के दौरान बंदूक और तीन कारतूस की कोई जब्ती सूची साबित नहीं हुई है। यहां तक की शिव नंद बिंद का गिरफ्तारी ज्ञापन, उस घर का विवरण, जिसमें से पीडब्लू-7 बरामद किया गया था, और शिव नंद बिंद को गिरफ्तार किया गया था, मुकदमे के दौरान साबित नहीं हुआ है।

30. इस न्यायालय ने आगे पाया कि पी.डब्लू-7 के अनुसार, उसके ठीक होने के बाद, उसे शिव नन्द बिन्द के साथ दिनांक 07.04.1997 को चेनारी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ पी.डब्लू-7 का बयान दर्ज किया गया, उसे अपना बयान

पढ़ने के लिए कहा गया। वह पूरी रात चेनारी पुलिस स्टेशन में रहा। अगले दिन उसे उप पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया और उसके बाद उसे शिवसागर पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ भी दरोगा जी ने उससे पूछताछ की। पी.डब्लू-7 का पहला बयान चेनारी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान नहीं रखा गया। उससे शिवसागर पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ की गई, लेकिन उसे भी साक्ष्य के रूप में नहीं लाया गया। ऐसी परिस्थिति में, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष बेदाग नहीं निकला है और पी.डब्लू-7 द्वारा चेनारी पुलिस स्टेशन को दी गई तत्काल जानकारी को रोक दिया गया है। वह अगले दिन अपने पिता (पीडब्लू-6) से मिला, लेकिन पीडब्लू-6 के अनुसार उसके बेटे (पीडब्लू-7) ने अपहरणकर्ताओं का नाम नहीं बताया था। चेनारी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जिन्होंने बयान दर्ज किया और शिवसागर पुलिस स्टेशन से मामले के आई.ओ. से मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई। आई.ओ. की गैर-परीक्षा ने निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में बचाव पक्ष पुलिस के समक्ष पीडब्लू-7 के शुरुआती बयान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था।

31. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि पी.डब्लू.-7 को धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत अपना बयान दर्ज कराने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 29.04.1997 को ही प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, 22 दिन की देरी के पश्चात, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पीडिता का बयान दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत बयान पर पी.डब्लू.-7 के हस्ताक्षर को ही साबित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत बयान को विधि के अनुसार प्रदर्शित कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पी.डब्लू.-7 ने अपनी जिरह में कहा है कि उसने दरोगा के निर्देश पर न्यायालय में बयान दिया था तथा उसे तुर्की गांव का नाम जनता से पता चला था, लेकिन वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिससे उसे तुर्की गांव का नाम पता चला। पी.डब्लू.-7 ने पैराग्राफ '11' में दोहराया है कि पुलिस ने चेनारी पुलिस स्टेशन में उसका बयान दर्ज किया था और जिस कागज पर बयान दर्ज किया गया था, उस पर उसने अपने हस्ताक्षर भी किए थे।

32. पीडब्लू-7 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह उस घर के बारे में नहीं बताता है जिससे उसे बरामद किया गया था। एक स्थान पर उन्होंने कहा कि उनकी बरामदगी के समय लगभग 20 पुलिसकर्मी और जनता के 100 सदस्य एकत्र हुए थे,

लेकिन इस अदालत ने पाया कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने कोई गवाह नहीं लाया है, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह गांव तुर्की के ललन पासवान का घर था, जहाँ से बरामदगी की गई थी। पीडब्लू-7 ने कहा है कि ललन पासवान कभी-कभी उन्हें खाना परोसते थे और कमरे में आधे घंटे तक बैठे रहते थे, वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अपने साक्ष्य के पैराग्राफ '12' में उन्होंने बताया है कि उन्होंने उक्त अवधि के दौरान और अब तक शिव नंद बिंद का चेहरा नहीं देखा था।

33. इस न्यायालय के लिए, यह प्रतीत होता है कि पीडब्लू-7 गवाह की श्रेणी में आएगा जो न तो पूरी तरह से विश्वसनीय होगा और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होगा, इसलिए, उसके साक्ष्य की बहुत सावधानी से और पूरी सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। तथ्य यह है कि उसने अपनी बरामदगी के तुरंत बाद चेनारी पुलिस के समक्ष बयान दिया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उसे रोक दिया गया है, उस घर के विवरण की अनुपलब्धता जहां से बरामदगी की गई थी, शिव नंद बिंद का कोई गिरफ्तारी ज्ञापन नहीं है जिसमें उसे उक्त घर से गिरफ्तार दिखाया गया है और फिर बंदूक और तीन गोलियों की जब्ती का कोई सबूत नहीं है, इस अदालत की राय होगी कि पीडब्लू-7 की एकमात्र गवाही के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

34. शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में (2021) 9 एस. सी. सी. 59 में सूचित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 364 ए के आवश्यक तत्वों पर विचार किया है। यह न्यायालय तैयार संदर्भ के लिए निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 12 से 15 को पुनः प्रस्तुत करेगा:-

"12. अब हम यह पता लगाने के लिए धारा 364-ए पर विचार कर सकते हैं कि धारा स्वयं अपराध के लिए किन तत्वों पर विचार करती है। जब हम धारा 364-ए की व्याख्या करते हैं तो निम्नलिखित समझ में आता है:

(i) "जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या इस तरह के अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है"

(ii) "और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुँचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मार दिया जा सकता है या चोट पहुँचाई जा सकती है।

(iii) सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने

या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाना या मौत का कारण बनना।

(iv) "मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। "

धारा 364-ए में शामिल पहली आवश्यक शर्त यह है कि "जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या इस तरह के अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है। "दूसरी शर्त संयोजन "और" से शुरू होती है। दूसरी शर्त के भी दो भाग हैं, अर्थात् (ए) ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाने की धमकी देना या (बी) उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मार दिया जा सकता है या चोट पहुँचाई जा सकती है। उपरोक्त शर्त का कोई भी भाग, यदि पूरा होता है, तो अपराध के लिए दूसरी शर्त को पूरा करेगा। तीसरी शर्त "या" शब्द से शुरू होती है, अर्थात्, या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाती है या मौत का कारण बनती है। तीसरी शर्त इन शब्दों से शुरू होती है "या सरकार या किसी विदेशी राज्य को कोई कार्य करने या फिरौती देने से बचने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाती है या मौत का कारण बनती है। "धारा 364-ए में "फिरौती के लिए अपहरण, आदि" शीर्षक शामिल है। " फिरौती मांगने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपहरण पूरी तरह से धारा 364-ए के अंतर्गत आता है।

13. हमने देखा है कि पहली शर्त के बाद दूसरी शर्त को "और" के संयोजन से जोड़ा जाता है, इस प्रकार, जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या इस तरह के अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाने की धमकी देता है।

14. संयोजन "और" के उपयोग का अपना उद्देश्य और उद्देश्य है। धारा 364-ए में "या" नौ बार "शब्द का उपयोग किया गया है और पूरे खंड में केवल एक संयोजन" और "है, जो पहली और दूसरी शर्त को जोड़ता है। इस प्रकार, धारा 364-ए के तहत किसी अपराध को कवर करने के लिए, पहली शर्त को पूरा करने के अलावा, दूसरी शर्त, यानी "और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुँचाने की धमकी" भी साबित करने की आवश्यकता है, यदि मामला "या" से जुड़े बाद के खंडों द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

15. "और" शब्द का उपयोग संयोजन के रूप में किया जाता है। "या" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से विशिष्ट है। दोनों शब्दों का उपयोग अलग-अलग उद्देश्य और उद्देश्य के लिए किया गया है। कानून की व्याख्या पर *क्रॉफर्ड ने आपराधिक कानून* के संबंध में "असंगत" और "संयुग्म" शब्दों के विषय पर निम्नलिखित बयान दिया:

".....अदालत को एक आपराधिक कानून में संयोजी शब्दों के लिए असंगत शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए बेहद अनिच्छुक होना चाहिए,

और इसके विपरीत, यदि ऐसी कार्रवाई अभियुक्त को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ”

35. वर्तमान मामले में पीडब्लू-7 के अपहरण का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और आगे फिरौती के लिए पीडब्लू-7 के अपहरण और हिरासत में अपीलार्थियों की भागीदारी के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष को अखंडित घटनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो अप्रतिरोध्य रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है और कोई अन्य नहीं। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ '14' और '15' 2023 में दर्ज राजेश और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1202 को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

यहाँ एक तैयार संदर्भ के लिए।

“14. अभियोजन पक्ष के मामले के एक पर्यवेक्षक से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि अजीत पाल के अपहरण और हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक मामले में, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए अखंडित घटनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करनी चाहिए और कोई अन्य नहीं [सी. चेंगा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य देखें, रामरेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी बनाम ए.पी.राज्य , मर्जेंद्रन लंगेश्वरन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य]। बहुत पहले 1952 में, हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, इस मामले की 3-न्यायाधीशों की पीठ न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

‘यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। ’

15. फिर से, *पदला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश* राज्य में, यह अदालत ने पुष्टि की कि जब कोई मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए:

- ‘1. जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें दृढ़ता से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।
2. वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
3. संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं; और
4. दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।

”

36. इस मामले के एक और पहलू पर चर्चा की जानी बाकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब अभियुक्तों के बयान धारा 313 आपराधिक दंड संहिता के तहत दर्ज किए गए थे, तो उनका ध्यान उन सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों और सामग्री की ओर नहीं खींचा गया था जो उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लाई गई थी। सभी अभियुक्तों से एक ही सवाल बार-बार पूछा गया। तैयार संदर्भ के लिए, यह न्यायालय धारा 313 आपराधिक दंड संहिता के तहत बयान की एक नमूना प्रति को पुनः प्रस्तुत करेगा-

"प्रश्न : क्या गवाही का बयान सुना ?

उत्तर : जी हाँ।

प्रश्न: आपलोगो के विरुद्ध साक्ष्य है कि दिनांक 27/3/97 की रात्री में ओम प्रकाश पाण्डेय उर्फ मन्दु अपने गांव में ड्रामा देखने गया था एवं ड्रामा देखकर रात्रि सुबह 2 ½-3 बजे दिनांक 28-3-97 को घर वापस आया तो आपलोग एक सामान्य आशय से अग्रसरण में उसका अपहरण कर दिया तथा फिरौती की माँग करने ?

उत्तर: जी नहीं।

प्रश्न: यह भी साक्ष्य है कि पुलिस द्वारा ओमप्रकाश पाण्डेय उर्फ मन्दू को ललन पासवान के घर से कुछ अपहरणकर्ता के साथ बरामद किया गया ?

उत्तर: जी नहीं।

प्रश्न: सफाई में कुछ कहना ?

उत्तर: -"

37. धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों के समक्ष प्रस्तुत बयान को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि कई आपत्तिजनक परिस्थितियां उनके समक्ष प्रस्तुत ही नहीं की गई थीं। उदाहरण के लिए, रवींद्र चौबे के मामले में, पीडब्लू-7 ने कहा है कि उसने अपहरणकर्ताओं को उसके बारे में बात करते हुए सुना था कि उसने सब कुछ ठीक किया है। यह आपत्तिजनक परिस्थिति रवींद्र चौबे के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसी प्रकार, प्रश्न संख्या 2 करते समय, अभियुक्तों से एक अस्पष्ट प्रश्न पूछा गया था कि ओम प्रकाश पांडे उर्फ मंदू को कुछ अपहरणकर्ताओं के साथ ललन पासवान के घर से बरामद किया गया था। वह ललन पासवान कौन है और उसके घर से गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ता कौन थे, इसका खुलासा नहीं किया गया है। तुर्की गांव के ललन पासवान से प्रश्न करते समय, पुनः एक स्टीरियोटाइप प्रश्न पूछा गया और उन्हें बताया गया कि ओम प्रकाश पांडे उर्फ मंदू को कुछ अपहरणकर्ताओं के साथ ललन पासवान के घर से बरामद किया गया है। यदि यह उसका घर था, जहाँ से बरामदगी की गई थी, तो अभियोजन पक्ष ने उसे स्पष्ट रूप से सूचित किया होता कि यह उसका घर था, जहाँ से बरामदगी की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह परिस्थिति कि शिवा नंद बिंद को पीडब्लू-7 बरामद करते समय घर से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने एक बंदूक और तीन कारतूस भी जब्त किए थे, अभियुक्तों को नहीं बताई गई।

38. माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय ने बार-बार धारा 313 आपराधिक दंड संहिता के तहत एक बयान के महत्व और एक आरोपी को वह अवसर देने के पीछे के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला (2014) 10 एस. सी. सी. 270** ने अनुच्छेद '12' और '13' में धारा 313 आपराधिक दंड संहिता की आवश्यकता के अनुपालन पर जोर देते हुए कहा है:-

"12. *हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य* में, बोस, जे. ने संहिता के तहत अभियुक्त के बयान को दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए तीन-न्यायाधीशों

की पीठ के लिए बोलते हुए इस प्रकार व्यक्त किया: (एआईआर पी पी. 469-70, पैरा 8)

“8. अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 208, 209 और 342 के तहत दर्ज अभियुक्त व्यक्ति के बयान मुकदमे में विचार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से हैं। यह याद रखना होगा कि इस देश में एक अभियुक्त व्यक्ति को डिब्बे में प्रवेश करने और अपने बचाव में शपथ लेने की अनुमति नहीं है। यह कुछ मामलों में अभियुक्त की सुरक्षा के लिए काम कर सकता है लेकिन कहीं और के अनुभव से पता चला है कि यह एक निर्दोष व्यक्ति के हार्थों में रक्षा का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार भी हो सकता है। कमिटिंग मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज अभियुक्त के बयानों का उद्देश्य भारत में इंग्लैंड और अमेरिका में गवाह बॉक्स में अपने तरीके से कहने के लिए स्वतंत्र होने का स्थान लेना है। ”

13. उपरोक्त सिद्धांत को *अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य* में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है: (एस. सी. पी. 347-48, पैरा 14)

“14. उप-धारा (1) (बी) में 'आम तौर पर' शब्द पूछताछ की प्रकृति को मामले से संबंधित सामान्य प्रकृति के एक या अधिक प्रश्नों तक सीमित नहीं करता है, लेकिन इसका अर्थ है कि प्रश्न आम तौर पर पूरे मामले से संबंधित होना चाहिए और इसके किसी विशेष भाग या भाग तक भी सीमित होना चाहिए। प्रश्न को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को यह पता चल सके कि उसे क्या समझाना है, कौन सी परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हैं और जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस धारा का पूरा उद्देश्य अभियुक्त को उन परिस्थितियों को समझाने का एक उचित और उचित अवसर प्रदान करना है जो उसके खिलाफ दिखाई देती हैं और यह कि प्रश्न निष्पक्ष होने चाहिए और ऐसे रूप में रखे जाने चाहिए जो एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति को समझने और समझने में सक्षम हो। जिस बात की व्याख्या करने के लिए उसे कभी नहीं कहा गया था, उसे समझाने में आरोपी की विफलता के आधार पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से गलत है। संहिता की धारा 313 को अधिनियमित करने का पूरा उद्देश्य यह था कि अभियुक्त का ध्यान आरोप के विशिष्ट बिंदुओं और उन साक्ष्य की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिन पर अभियोजन पक्ष दावा करता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाया गया है ताकि वह ऐसा स्पष्टीकरण दे सके जो वह देना चाहता है। ”

39. (1984) 4 एस. सी. सी. 116 में रिपोर्ट किए गए शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 145 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“145. हमारे लिए इस बिंदु पर अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रश्न अब इस न्यायालय के कई निर्णयों से समाप्त हो गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपीलार्थी की जांच में जिन परिस्थितियों को नहीं रखा गया था, उन्हें विचार से पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए।

40. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों के संचयी पठन पर, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त-अपीलार्थियों के अपराध को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य लाने में विफल रहा है। आई. पी. सी. की धारा 364ए के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों की कमी है और पीडब्लू-7 के अपहरण और विचाराधीन घटना के संबंध में आरोपी-अपीलार्थियों की भूमिका के बीच संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सका है ताकि अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।

41. नतीजतन, निचली अदालत के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

42. सी. आर. को छोड़कर उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थी। 2017 की अपील (डी. बी.) संख्या 1435 और सी. आर. 2018 की अपील (डी. बी.) संख्या 59 जमानत पर हैं। उन्हें उनके जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

43. अपीलार्थी, स्वर्गीय राम चरितार पासवान (क्र. सं.) के पुत्र ललन पासवान। 2017 की अपील (डी. बी.) सं. 1435) और शिव नंद बिंद (क्र. सं. 2018 की अपील (डी. बी.) संख्या 59) को हिरासत में बताया गया है। यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

44. सभी अपीलों की अनुमति है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायाधीश)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायाधीश)

1. (1996) 10 एससीसी 193
2. (2006) 10 एससीसी 172
3. (2013) 7 एससीसी 192
4. (1984) 4 एससीसी 116
5. (1952) 2 एससीसी 71
6. 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 706
5. (2007) 12 एससीसी 341: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 371
4. ए. आई. आर. 1953 एससी 468: 1953 सी. आर. आई एल. जे. 1933

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।